84

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक दो/निगरानी/सीधी/भूरा/2018/1287 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 08.02.18 के द्वारा न्यायालय अपर कलेक्टर जिला सीधी के प्रकरण कमांक 13/निगरानी/2016—17.

.....

भीमसेन नाई तनय स्व0 श्री छोटेलाल
निवासी ग्राम डोल तहसील बहरी
जिला सीधी म0 प्र0

--- आवेदक

विरूद्ध

1—भगवानदीन तनय श्री रामा साहू
2—रामकरण यादव तनय श्री रामजियावन
3—रामसियावंर तनय श्री रामजियावन
निवासीगण ग्राम डोल तहसील बहरी
जिला सीधी म0 प्र0
4— म0 प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर सीधी --- अनावेदकगण

.....

श्री के0 के0 द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री आई0 पी0 द्विवेदी, अभिभाषक, क0 1 से 3
शासन की ओर से पैनल अधिवक्ता उपस्थित

.....

आदेश

(आज दिनांक 25-06-18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला सीधी द्वारा पारित आदेश 08.02.18 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2–प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा दिनांक 26.4.10 को नायब तहसीलदार सिहाबल के यहां आवेदन प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया था कि सहायक बन्दोबस्त अधिकारी दल कमांक–3 के यहां ग्राम डोल की भूमियों के संबंध में आवेदन प्रस्तुत कियागया था जो प्रकरण कमांक 20/अ–3/90–91 में पंजीबद्व होकर दिनांक 30.8.91 को आदेश पारित किया गया था उसके परिपालन में इस्तलावी की जावे। तहसीलदार तहसील बहरी जिला सीधी द्वारा दिनांक 15.7.13 के आदेशानुसार ग्राम डोल की सर्वे कमांक 123/2ख रकवा 1.24 है0 एवं 124/2 रकवा 2.22 है0 का म0 प्र0 शासन की वजाय आवेदक के नाम इन्द्राज करने के आदेश पारित किया गया। इसी से परिवेदित होकर अनावेदकगण द्वारा राजस्व मण्डल ग्वालियर में निगरानी प्रस्तुत की गई जो प्रकरण कमांक 2366–दो/15 पर दर्ज हुई उसमें आदेश दिनांक 1.4.17 को यह आदेश पारित हुआ कि तहसीलदार के आदेश विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत होगी निगरानी निरस्त की गई। अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की तो अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश में लेख किया था कि अपर कलेक्टर के न्यायालय में निगरानी संचालित है तो प्रकरण प्रचलनशील रहना विधि संगत नहीं है इसी आधार पर अपील निरस्त की गई थी। अनावेदकगण द्वारा अपर कलेक्टर के न्यायालय में प्रकरण कमांक 13/निगरानी/2016–17 दर्ज हुआ तथा दिनांक 8.2.18 द्वारा विवादित भूमि को म0 प्र0 शासन में दर्ज करने के आदेश पारित किये गये जिससे दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3—आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि प्रकिया तथा सहज न्याय सिद्वांत के विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है। आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि जहां अपील का उपचार उपलब्ध हो वहां निगरानी वर्ज़ित है। इस कानूनी बिन्दु की ओर अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया जिससे अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। आवेदक के बाबा शिवबहोर, सुदामा तनय सत्यदीन नाई को निगरानीधीन आराजीयात पर देरीना समय से चले आ रहे गैरहकदार कब्जे के आधार पर सीधी जिले में बन्दोवस्त कार्यवाही के दौरान न्यायालय सहायक बन्दोवसत अधिकारी दल क्रमांक—3 जिला सीधी के राजस्व प्रकरण क्रमांक 20/अ—3/1990—91 आदेश दिनांक 30.8.91 के माध्यम से संपूर्ण जांच पश्चात साक्ष्य सुनवाई उपरांत विधि सम्मत आदेश द्वारा भूमिस्वामी घोषित किया गया था जो एक विधि सम्मत आदेश था। अधीनस्थ न्यायालय ने एक साथ न्यायालय सहायक बन्दोबस्त अधिकारी व तहसीलदार बहरी के आदेश को निरस्त करने में विधि की उपेक्षा की है जिससे अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। तर्क में यह भी कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस प्रकरण में आपत्ति आवेदन जो अंतरिम आवेदन था, उसका कोई निराकरण किये बिना अंतिम आदेश पारित कर दिया है, जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अंत में अनुरोध किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर जिला सीधी का आदेश दिनांक 8.2.18 निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4—अनावेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि तहसीलदार बहरी व संबंधित हल्का पटवारी यह जानते हुये कि उक्त म0 प्र0 शासन की भूमियों बावत सहायक

बन्दोबस्त अधिकारी सीधी दल कमांक 3 के द्वारा भूमिस्वामित्व घोषित किये जाने का कोई आदेश पारित नहीं किया गया है क्यों कि सहायक बन्दोबस्त अधिकरी को म0 प्र0 शासन की भूमि पर स्वामित्व घोषित किये जाने की अधिकारिता ही प्राप्त नहीं थी इसके बावजूद आवेदक को अवैध लाभ पहुंचाने के उददेश्य से भूमि कमांक 123, 124, 144 पर अनावेदक का कब्जा होने बावत हल्का पटवारी ने दिनांक 27.2.12 का कूटरचित प्रतिवेदन व पंचनामा तैयार किया जिसे आधार बनाकर तत्कालीन तहसीलदार बहरी ने कूटरचित फर्जी प्रकरण तैयार कर उसमें आदेश 15.7.13 इस आधार पर लेख किया गया कि जरिये प्रकण कमांक 20/अ–3/90–91 में आदेश दिनांक 30.8.91 आवेदक के नाम भूमिस्वामी स्वत्व घोषित किया गया है जिसका अवलोकन कर म0 प्र0 शासन की भूमि करने के वजाय आवेदक के नाम कर दी थी अपर कलेक्टर जिला सीधी द्वारा म0 प्र0 शासन दर्ज करने के आदेश दिये गये है जो विधि प्रकिया से उचित है तथा अपर कलेक्टर का आदेश स्थिर रखने योग्य है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गयां है कि आवेदक की निगरानी निरस्त कर अपर कलेक्टर का आदेश दिनांक 8.2.18 स्थिर रखने का अनुरोध किया गया है।

5–उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का अध्ययन किया गया । अध्ययन से प्रतीत होता है कि सहायक बन्दोवस्त अधिकारी सीधी दल कमांक –3 द्वारा प्रकरण कमांक 20/अ–3/90–91 द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.8.91 द्वारा ग्राम डोल की आराजी कमांक 123/2.32, 124/2.62, 144/1.33 एकड का म0 प्र0 शासन के बजाय आवेदक शिवबहोर, सुदामा पिता सूर्यदीन नाई के नाम भूमिस्वामी स्वत्व दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया गया किन्तु प्रकरण में खसरा नकल या अन्य ऐसा कोई प्रमाणित दस्तावेज संलग्न नहीं है जिससे यह

माना जाय कि वादग्रस्त आराजी आवेदक के कब्जा या स्वत्व की भूमि थी, जबकि अनावेदकगण द्वारा अपर कलेक्टर जिला सीधी के न्यायालय में 1975–76 से 1978–79 एवं 1987–88 से 92–93 तक खसरा नकल छायाप्रति प्रस्तुत की है जिसमें आराजी कमांक 113 रकवा 17.80 एकड़ भूमि म0 प्र0 शासन झुड़पी, जंगल काविल कास्त है। मुख्य रूप से अपर कलेक्टर जिला सीधी द्वारा अपने आदेश में यह भी लेख किया गया है कि जब तक जंगल, झुड़पी का व्यवस्थापन तब तक नहीं किया जा सकता जब तक नवइत परिवर्तन न करा लिया जावे। सहायक बन्दोवस्त अधिकारी द्वारा बिना किसी अभिलेख के आवेदक के हित में करने में त्रुटि की गई थी जिसे अपर कलेक्टर जिला सीधी द्वारा निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई । अतः उनका आदेश दिनांक 8.2.18 स्थिर रखे जाने योग्य है।

7– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर जिला सीधी के प्रकरण कमांक 13/निगरानी/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 08.02.2018 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर